	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-17	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थी पत्र सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 17-11-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17-11-17	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस 10-11-17 पर आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल होकर संलग्न मूलवाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायाल उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी- गरिमा लाटा R.A.S.

प्रार्थना पत्र सं. 48/16
दायरा दिनांक - 11-8-16

उनवान

1. गीता बाई पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति नाथ निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़. — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

निर्णय

दिनांक 17.11.17

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना 212 आर टीएक्ट जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख. सं. 423 रकबा 1.29 है., ख. सं. 615 रकबा 1.05 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.34 है. वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2071-2074 संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थिनी के पति रामस्वरूप आ. प्रतापनाथ जाति नाथ के नाम बतौर गैर खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। पति की मृत्यु के बाद मौती नामान्तकरण सं. 973 दिनांक 20-11-2014 से प्रार्थीनी के नाम अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों

क्रमशः...

द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त आराजी पर गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत अप्रार्थी के आदेशानुसार आवंटन के नियमानुसार राशि प्रार्थिनी के पति राजस्वरूप के द्वारा जमा करवा दी गई है। इसके बावजूद भी प्रार्थिनी के पति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये। प्रार्थिनी के पति के मृत्यु के बाद से ही प्रार्थिनी वाद विषयक आराजी पर खातेदारी अधिकारों हेतु कई बार अप्रार्थी को निवेदन कर चुकी है। जुलाई 2016 में अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी से बेदखल कर सिवायचक दर्ज करने की धमकी प्रदान की गयी। यही वाद कारण है। प्रार्थिनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबन्द करावे कि वह विवादित आराजी पर से प्रार्थिया को बेदखल नहीं करे व न ही वाद विषयक आराजी को सिवायचक दर्ज करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे व नही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने व जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं करने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण के वाद पत्र के जवाब मे पेश जवाबदावे में प्रतिवादी ने इन्हे गैर खातेदार स्वीकार किया है। अतः वाद के निर्णय तक मेरे अधिकार की सुरक्षा की जानी चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाये।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस समाहत की तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 में राजस्वरूप पुत्र प्रतापनाथ

जे है तथा जमाबंदी मे लगाये गये नोट में नामा. सं 973 दिनांक 20.11.14 रामस्वरूप के स्थान पर गीताबाई पत्नी स्व. रामस्वरूप कोमनाथ सा. देह - गैर खातेदार दर्ज करना स्वीकार हुआ है दर्ज है। इस प्रकार मुताबिक जमाबंदी प्रार्थिनी विवादित आराजी की गैर खातेदार है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2071 में विवादित आराजी पर 355 व सरसों की फसल दर्ज है इससे प्रार्थिनी का कब्जा काश्त भी सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थिनी का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है। चूंकि प्रार्थिनी द्वारा यह कथन वाद पत्र व बहस में किया गया है कि उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने की धमकी प्रदान की गयी है। अतः यदि उक्त आराजी को अप्रार्थी द्वारा दौराने वाद के निर्णयन तक सिवायचक दर्ज कर दिया गया तो प्रार्थिनी को अपूर्णीय क्षति होगी इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में है अतः हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो कृषि भूमि ख. सं 423 रकबा 1.29 है., ख. सं. 615 रकबा 1.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 2.34 है. वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ पर से प्रार्थिया को बेदखल न करे व नही वाद विषयक आराजी को सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17.11.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)